कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजपुर
जिला बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)

–::विज्ञप्ति::–

परिशिष्ट – 01

–: आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना :–

क्रमांक/829/स्था0/बाविपरि./2026.27 राजपुर,दिनांक 17/11/2026

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02–04–2008 में दिए गए दिशा निर्देश एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक IT/830/2025/HOD IT SECTION IT नवा रायपुर, दिनांक 05.01.2026 के परिपालन में परियोजना राजपुर अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र में **आंगनबाड़ी सहायिका** के पद रिक्त है। पद पूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाए गए शर्तों के अधीन **ऑनलाईन पद्धति** के माध्यम से **दिनांक 18.11.2026 से दिनांक 02.12.2026** तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की नवीन वेबपोर्टल **https://aww.e-bharti.in** में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया की जानकारी उक्त पोर्टल में उपलब्ध **उपयोगकर्ता मेनुअल** से ली जा सकती है ।

नोट :– ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना कार्यालय राजपुर में जमा करना अनिवार्य है। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है ।

क.	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4	5	
1	धन्धापुर	धन्धापुर	धन्धापुर	धन्धापुर 2	सहायिका
2	धन्धापुर	मरकाडांड़	मरकाडांड़	आमाटीकरा	सहायिका
3	बरियों	बादा	बादा	लामीडांड़	सहायिका
4	बरियों	भिलाईखुर्द	भिलाईखुर्द	मिशनपारा	सहायिका
5	बरियों	भिलाईखुर्द	बांटीडांड़	मंदिरपारा	सहायिका
6	बरियों	भिलाईखुर्द	बांटीडांड़	सेमरपारा	सहायिका
7	अलखडीहा	जिगड़ी	बासेन	देवरीडांड़	सहायिका
8	ककना	अमड़ीपारा	अमड़ीपारा	जोगालपारा	सहायिका
9	गोपालपुर	बगाड़ी	बगाड़ी	बगाड़ी	सहायिका
10	गोपालपुर	सिंगचौरा	सिंगचौरा	सिंगचौरा	सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं है :–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी)
2. **आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए। जिस राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए)**
3. निवासी होने के प्रमाण में (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगायी जावे अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव अथवा पटवारी तथा

Scanned with OKEN Scanner

नगरीय निवायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

4. **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–**

ऑगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	08 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार आदिवासी परियोजना में 8वीं उत्तीर्ण कोई आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर पांचवीं बोर्ड रखी जावेगी। उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिका नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जिसकी छः माह की वैधता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समाप्त न हुई हो) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक की पात्रता होगी। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. अनुभवी आंगनबाड़ी/ बालवाड़ी/झूलाघर/ अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र/शहरी विशेष पोषण आहार वितरण केन्द्र/शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका होने पर, कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने संबंधी अधिक्षिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दाखिल खारिज एवं अंकसूची के आधार पर मिलान होने पर, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार को अर्हता कमॉक 05 के अनुसार पात्रता होने पर तथा विधवा(मृत्यु प्रमाण पत्र) तथा परित्यक्ता महिला होने के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्सबंधी आदेश मान्य किया जावेगा। परित्याक्ता के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि ही मान्य होगी। तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी। एवं उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर ही निर्धारित अंक का लाभ दिया जावेगा।

7. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान हैं। नियुक्ति निर्देश की कंडिका 3(5) तथा 5(5) अनुसार प्रभावशील सूची शब्द अंकित है इस संबंध में संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 8513 दिनांक 15–01–2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है की सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकडे का उपयोग करना है। अतः गरीबी रेखा के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व शहरी क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आधार पर) व SECC परिवार सूची 1. वंचन सूचकांक, 2. स्वतः शामिल सूचकांक, में शामिल परिवार होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं SECC परिवार सूची संयुक्त रूप से जमा करने पर ही निर्धारित अंक का लाभ दिया जावेगा।

8. **ऑनलाईन आवेदन में समस्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही अनंतिम मूल्यांकन पत्रक दावा आपत्ति हेतु जारी किया जावेगा। दावा आपत्ति केवल अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर ही लिया जावेगा, दावा आपत्ति के समय किसी भी प्रकार का नया दस्तावेज नहीं लिया जावेगा। आवेदन के साथ संलग्न किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्राकर की आपत्ति हाने की स्थिति में उसके अभिप्रमाणन से संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र दावा आपत्ति के समय स्वीकृत किये जा सकेंगे।**

Scanned with OKEN Scanner

9. नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदिकाओं को आवेदन करने के पूर्व स्वंय सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व के हों।
10. समस्त दस्तावेज आवेदिका द्वारा स्व सत्यापित होना आवश्यक है।
11. **आठवीं की अंकसूची ग्रेडिग पद्धति में होने पर आवदेन पत्र के साथ प्रधानपाठक एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित अंक तालिका सलंग्न किया जाना अनिवार्य है। अंक तालिका में प्राप्तांक पूर्णाक व प्रतिशत् का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। अंक तालिका सलंग्न नही करने की स्थिति में ग्रेडिंग के न्यूत्तम अंक के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा एवं मूल्याकंन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम स्थिति में मान्य होगे।**
12. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक(अनंतिम) सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल मे अपलोड की जावेगी। अम्यर्थी प्राविधिक(अनंतिम) सूची में अपने नाम, पता व प्राप्त अंक का अवलोकन करेंगे व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें।
13. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावे।
14. आ.बा. कार्यकता/सहायिका के पदो के पूर्ति से सबंधित शासन द्वारा संशोधित निर्देश प्राप्त होने पर यथा अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
15. आवेदन केवल विभागीय ऑनलाईन पोर्टल **https://aww.e-bharti.in** से ही स्वीकार किये जावेंगे। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना राजपुर में संपर्क कर सकते है।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखनेवाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परि. राजपुर
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज(छ.ग)

पृ0क्रमांक/ 830 /स्था./बाविपरि./2026–27 राजपुर, दिनांक 17/11/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, महोदय बलरामपुर–रामानुजगंज(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास बलरामपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
4. जिला रोजगार अधिकारी बलरामपुर । (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)
5. जिला जन संपर्क अधिकारी, बलरामपुर । (सूचना कार्य हेतु)
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जनपद पंचायत राजपुर (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।)
8. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड राजपुर। (चस्पा एवं मुनादी हेतु)।
9. सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजपुर को ग्राम पंचायत से विज्ञप्ति की तामिली करा कर पावती उपलब्ध कराने हेतु पालनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परि. राजपुर
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner